

प्रेषक,

शिव शंकर सिंह  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक : २१ सितम्बर, 2012

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत अनुदान सं०-37 से द्वितीय किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक-59(6)/पीएफ-1/2011-961, दिनांक 21.11.2011 द्वारा जारी केन्द्रांश की द्वितीय किश्त/द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि (जनपद-बलरामपुर की निकाय-उतरौला हेतु अवमुक्त द्वितीय किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि) के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-209/76/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/2012-13, दिनांक 02 मई, 2012, पत्र संख्या-210/76/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/2012-13, दिनांक 02 मई, 2012, पत्र संख्या-211/76/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/2012-13, दिनांक 02 मई, 2012, संख्या-214/76/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/2012-13, दिनांक 02 मई, 2012, पत्र संख्या-215/76/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/2012-13, दिनांक 02 मई, 2012 व पत्र संख्या-217/76/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/2012-13, दिनांक 02 मई, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु कमशः जनपद-संतकबीर नगर की निकाय-जवाहर नगर की 72 आवासों के सापेक्ष 60 आवासों, जनपद-बहराइच की निकाय-सलारगंज की 336 आवासों के सापेक्ष 176 आवासों, जनपद-बिजनौर की निकाय-झालू की 56 आवासों के सापेक्ष 28 आवासों, जनपद-गाजियाबाद की निकाय-अर्थला की 208 आवासों के सापेक्ष 119 आवासों, जनपद-बलरामपुर की निकाय-उतरौला की 60 आवासों के सापेक्ष 54 आवासों एवं जनपद-बरेली की निकाय-नवाबगंज की 48 आवासों की कुल 06 परियोजनाओं के लिये अनुदान संख्या-37 से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की धनराशि **रु० 4,43,97,000.00 (रु० चार करोड़ तैतालीस लाख सत्तानवे हजार मात्र)** की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
2. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एक्सेलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
3. उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण करारकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को समय से उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे। किसी प्रकार का कास्ट एक्सेलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
4. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
5. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा), उ०प्र०, इलाहाबाद को आदेश

की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
  7. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
  8. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेंगे।
  9. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूझा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  10. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस0एल0एन0ए0 (सूझा), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप है एवं आगणन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि यदि कोई हो तो उसे राज कोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
  2. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अंतर्गत लेखा शीर्षक "4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-051-निर्माण-03-इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (के.80/रा.20-के.+रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
  3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के संदर्भ में जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक : यथोक्त।**

भवदीय,

शिव शंकर सिंह  
विशेष सचिव।

**संख्या- (1)/69-1-12-69(बजट)/2008, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, संतकबीरनगर/बहराइच/बिजनौर/गाजियाबाद/बलरामपुर/बरेली।
4. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1 को केन्द्रांश प्राप्त होने विषयक भारत सरकार के पत्रांक-59(6)/पी0एफ0-1/2011-961, दिनांक 21.11.2011 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
6. निर्गोजन अनु0-4/नगर विकास विभाग (कम्प्यूटर कक्ष) वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूझा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

अञ्चल से:

(आर0पी0 सिंह)  
उपसचिव।

शासनादेश संख्या-1678A/69-1-12-69(बजट)/2008, दिनांक सितम्बर, 2012 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू० में)

क्रमांक	जनपद/ परियोजना	कुल आवासों की संख्या	कुल परियोजना लागत (सेन्टेज चार्ज व लेबर सेस अतिरिक्त)।	सामान्य वर्ग के लामार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लामार्थियों हेतु द्वितीय/अंतिम किस्त की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि अवस्था० सुविधाओं सहित। (केन्द्रांश+राज्यांश)।
1	2	3	4	5	6
1.	संतकबीरनगर/ जवाहरनगर	72	200.09	60	76.84
2.	बहराइच/सलारगंज	336	792.97	176	185.53
3.	बिजनौर/झालू	56	150.31	28	16.53
4.	गाजियाबाद/अर्थला	208	562.13	119	70.01
5.	बलरामपुर/उतरीला	60	173.86	54	35.41 (द्वितीय/अंतिम किस्त का 50 प्रतिशत)
6.	बरेली/नवाबगंज	48	137.50	48	59.65
	योग				443.97

(रूपया चार करोड़ तैतालिस लाख सत्तानवे हजार मात्र)

  
(आर० पी० सिंह)  
उपसचिव।